



प्रतिवेदन

दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन
में हुए गोली कांड के संबंध में

द्वारा

न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सेन

(शासन के संबंधित संकल्प सहित)

भोपाल

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय

मध्यप्रदेश

गृह विभाग

(क्ष—अनुविभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ५ मार्च, १९७४—१४ फाल्गुन, १८९५.

क्र. ८-२३(१)-७३-क्ष-१.—राज्य शासन द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

र. च. राय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग).

संकल्प

भोपाल, दिनांक ५ मार्च, १९७४—१४ फाल्गुन, १८९५.

क्र. ८-२३-७३-क्ष-१.—बिरलाग्राम, नागदा, जिला उज्जैन, में २१ दिसम्बर, १९७० को हुए उपद्रव से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रण में करने हेतु पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर न्यायिक जांच शासन की ८ जनवरी, १९७१ की अधिसूचना (क्र. १०७-८१७२-१-क्ष-७०) द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सेन को सौंपी गई थी:—

(क) बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन में हुए जो उपद्रव इस स्थिति पर पड़ें कि पुलिस द्वारा दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को गोली चलाई गई, उनकी पृष्ठभूमि, कारणों तथा अनुक्रम की जांच करने तथा उनपर प्रतिवेदन देने के लिये;

(ख) उक्त उपद्रवों को उद्दीप्त करने तथा उनमें भाग लेने और उस स्थिति को, जिसके कि अन्तर्गत २१ दिसम्बर १९७० की घटनाएं आती हैं और जिसकी परिणति उक्त घटनाओं में हुई, गुरुतर बनाने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की जांच करने तथा उनके बारे में प्रतिवेदन देने के लिये;

(ग) इस बारे में जांच करने के तथा प्रतिवेदन देने के लिये कि क्या विभिन्न अवसरों पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग न्यायोचित

तथा स्थिति को नियंत्रित करने के हेतु आवश्यक सीमाओं के भीतर था ;

- (घ) इस बारे में जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये कि क्या पुलिस के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा भी गोली चलाई गई और क्या वह गोली चालन न्यायोचित था; एवं
- (ङ) उक्त उपद्रवों को रोकने तथा उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिये स्थानीय प्रशासन द्वारा किये गये उपायों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता की जांच करने तथा उसपर प्रतिवेदन देने के लिये।

२. आयोग ने अपनी कार्रवाई १० फरवरी १९७१ को प्रारम्भ की और जांच में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों से लिखित वक्तव्य आमन्त्रित किये। जिला अधिकारियों तथा मिल के व्यवस्थापक के अतिरिक्त अन्य श्रमिक संगठनों ने लिखित बयान आयोग को पेश किये। आयोग ने उज्जैन में ५ मार्च, १९७१ को अपनी पहली बैठक में जांच प्रक्रिया निश्चित की। आयोग ने श्रमिकों की स्थिति की तुलना करने के लिये नागदा में स्थित उद्योगों के समान देश के अन्य भागों में स्थित उद्योगों का निरीक्षण किया। जांच के पूरे अभिलेखों के साथ आयोग ने २० जनवरी, १९७३ को अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया।

३. आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार २१ दिसम्बर, १९७० के उपद्रवों के प्रसंग में विश्लेषण किये गये तथ्यों का सारांश यह है कि ग्रिसिम मिल तथा इंजीनियरिंग डिवीजन बिरलाग्राम (नागदा) में बोनस तथा वेतन निर्धारण के प्रश्न पर मजदूरों में कुछ समय से अशान्ति थी। उनकी मांग ४५ प्रतिशत बोनस तथा वेतन निर्धारण के संबंध में थी। अपनी मांगों को स्वीकृत कराने के लिये कुछ मजदूरों ने एक संघर्ष समिति का निर्माण भी कर लिया। बोनस एकट के अनुसार बोनस की राशि मजदूरी के २० प्रतिशत तक ही दी जाना चाहिये। पूर्व में हुए समझौते के अनुसार २० प्रतिशत बोनस के अतिरिक्त ११ प्रतिशत अनुदान की राशि देना भी निश्चित हुआ था। वेतन निर्धारण का प्रश्न इस समझौते के द्वारा नेशनल प्रोडक्शन काउन्सिल के द्वारा किया जाना था। फिर भी विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से ३५-४० और ८० प्रतिशत बोनस की मांग की गई घटना के समय मजदूरों में कई असें से चल रहे आपसी और आन्तरिक झगड़ों के कारण कोई भी संघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं था और न कोई समझौता भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में उनसे कोई समझौता किया जाना संभव नहीं हो पाया।

४. आयोग की राय में संघर्ष समिति के कारण आन्दोलन में तीव्रता आ गई। इस बीच श्रमिकों के विरोधी दलों में कुछ तनाव उत्पन्न हुआ। क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये स्थानीय प्रशासन को १५ नवम्बर, १९७० को धारा १४४ के प्रतिबन्धक आदेश लागू करना पड़े। फिर भी प्रायः दिन प्रति दिन इस आदेश का उल्लंघन किया गया। उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाता रहा और शान्ति बनाये रखने के लिये जो भी कार्रवाई आवश्यक थी वह की जाती रही। ५ दिसम्बर, १९७० को संघर्ष समिति की ओर से एक कार्यकर्ता

भूख हड़ताल पर बैठ गया। १२ दिसम्बर, १९७० को मिल के व्यवस्थापकों की ओर से एक नोटिस लगाया गया जिसमें प्रिसिम के मजदूरों को ३१ प्रतिशत तथा इन्जीनियरिंग विभाग के मजदूरों को २४.५ प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की गई। वेतन वृद्धि का प्रश्न पूर्व समझौते के अनुसार आपसी समझौते के लिये छोड़ दिया गया।

५. १२ दिसम्बर, १९७० से संघर्ष समिति के इशारे पर कुछ मजदूर हड़ताल पर चले गये। मजदूरों को हड़ताल में शामिल होने की धमकियां दी जाने लगी। श्री तिवारी, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे ने इसी दिन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। व्यवस्थापकों ने इस स्थिति में मजदूरों के काम पर न आने के लिये १४ दिसम्बर, १९७० को घोषणा की। फिर भी मजदूर कारखाने में रहे और अवैधानिक कार्यवाहियां करते रहे। श्रम न्यायालय द्वारा काम पर उपस्थित होने की दी गई अंतरिम आज्ञा की अवज्ञा मजदूरों ने की। संघर्ष समिति के नेता तथा हड़तालियों ने अशान्ति का वातावरण बना दिया।

६. २१ दिसम्बर, १९७० को ७.३० बजे सुबह जब हड़तालियों की भीड़ पावर हाउस गेट के पास एकत्रित थी तो उसे उप पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी ने हटने के लिये चेतावनी दी। भीड़ ने हटकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसी समय फेक्ट्री का सायरन (रुक-रुक) कर बजा जो असामान्य था सायरन के बजते ही बड़ी भीड़ पावर हाउस के फाटक के पास एकत्रित हो गई। भीड़ लाठियों, लोहे की छड़ों से तथा पाईप से लेस थी। सभी लोग उग्र रूप धारण किये हुए थे। भीड़ तीन तरफ से स्टाफ वाले फाटक की ओर बढ़ रही थी। अश्रुगैस तथा लाठी चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीषण पथराव के कारण अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा पुलिस घायल हो गये। बिरला विश्राम गृह तथा अतिथि गृह को आग लगा दी गयी। पुलिस गाड़ी तथा निजी वाहनों को भी भीड़ ने आग लगा दिया गया। जो उपद्रवी कारखाने के अंदर थे उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई, कारखाने के शस्त्रागार से शस्त्र और बारूद लूट ली गई। इस स्थिति में पुलिस को गोली चलाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं था और पुलिस ने गोली चलाई। जब १० बजे से कफ्यू लगाया गया तब उपद्रव बन्द हुए। पुलिस की गोली से २ व्यक्ति मारे गये। उपद्रवकारियों ने मिल के इन्जीनियर श्री ओबेराय को मारा जिसके फलस्वरूप बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बिरला ग्राम आगजनी, लूट और विनष्टीकरण का एक नगर बन गया था। कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि घटना के दिन बिरला ग्राम की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई बड़ा भारी युद्ध हुआ हो।

७. आयोग के विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सेन के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:—

(क) आयोग के मत में २१ दिसम्बर, १९७० के उपद्रव की पृष्ठभूमि तथा उसका मुख्य कारण बोनस तथा वेतन वृद्धि की नाजायज मांग पर मजदूरों में मतभेद न होकर उनका दुराग्रह का रवैया, श्रम संघों की आपसी प्रतिस्पर्धा, साथ ही वास्तविक प्रतिनिधित्व करने के लिये मजदूर संघ का अभाव तथा संघर्ष

समिति (जो न तो पंजीकृत और न मान्यता प्राप्त समिति थी) का युक्तिहीन रुख रहा। व्यवस्थापकों की यह दिक्कत रही कि वे किस संघ से समझौता करें कि जो सबको मान्य हो।

उपद्रव के अनुक्रम जिसकी परिणति २१ दिसम्बर, १९७० को गोली चालन में हुई का संक्षिप्त विवरण उपर्युक्त कांडिका ६ में वर्णित है।

- (ख) जांच के अनुसार ५६ व्यक्ति ऐसे थे जो उपद्रव को उद्दीप्त करने तथा स्थिति को गुरुतर बनाने के लिये उत्तरदायी थे।
- (ग) पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग तथा गोली चालन किया गया उसे आयोग ने यथोचित माना है।
- (घ) आयोग ने अपने निष्कर्ष में श्री बलवन्तसिंह द्वारा गोली चालन यथोचित बताया है, परन्तु श्री सागरमल गुप्ता, श्री राजेन्द्र बुन्देला, श्री जितेन्द्र गोथरवाल द्वारा जो गोली चलाई गई वह न्यायोचित नहीं माना।
- (ङ) स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रण में करने तथा उपद्रव को रोकने के लिये जो कार्यवाही की गई वह आयोग ने पर्याप्त मानी है।

८. राज्य शासन ने विचारार्थ विषयों के संबंध में आयोग के निर्णयों और निष्कर्षों पर विचार किया और वह (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर आयोग के सब निष्कर्षों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। विचारार्थ विषय (ख) के प्रसंग में शासन ने निर्णय लिया है कि जिन ५६ व्यक्तियों द्वारा इस उपद्रव में भाग लेकर अवैधानिक कार्यवाही की गई थी यदि उनमें से किसी के विरुद्ध पूर्व से ही कोई मुकदमें नहीं चल रहे हों तो अब मुकदमें चलाये जाएं। विचारार्थ विषय (घ) के संबंध में उल्लेखनीय है कि सर्वश्री राजेन्द्र बुन्देला तथा जितेन्द्र गोथरवाल के द्वारा बिना औचित्य के गोली चलाने के आरोप पर उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये परन्तु उसमें वे छूट गये। अतएव शासन की राय में इस प्रकरण में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

९. आयोग ने नागदा में जैसी स्थिति उत्पन्न हुई उसे भविष्य में उद्योगों में रोकने के लिये सुझाव दिया है कि प्रत्येक उद्योग संस्थान में मजदूरों का एक ही संघ होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि यदि उद्योग में एक ही संघ हो तो भिन्न-भिन्न मजदूर संघों के द्वारा आपस में झगड़ते रहने से शान्ति सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ता है वह नहीं रहेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं जो भारत शासन तथा राज्य शासन के समक्ष अलग से विचाराधीन हैं। शासन की राय में वर्तमान श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत यह संभव नहीं है। अतः इस स्थिति के सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

१०. राज्य शासन, तदनुसार, निम्नानुसार संकल्प करता है:—
संकल्प किया—

(एक) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ विषयों (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर उसके निष्कर्ष उसके द्वारा दशायें गये कारणों के आधार पर स्वीकार किये जाएं।

(दो) (क) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ विषय (ख) के प्रसंग में आयोग द्वारा बतलाए गये जिन ५६ व्यक्तियों ने उपद्रव में भाग लेकर अवैधानिक कार्रवाई की उनके खिलाफ यदि पूर्व से कोई मुकदमे नहीं चल रहे हों तो पुलिस महानिरीक्षक को कहा जाए कि अब मुकदमे चलाये जाने की पहल की जाए।

(ख) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ विषय (घ) के संबंध में चूंकि श्री राजेन्द्र बुन्देला तथा जीतेन्द्र गोधरवाल जिनके विरुद्ध आयोग ने बिना औचित्य के गोली चलाने का निष्कर्ष निकाला था, मुकदमा चला परन्तु वे छूट गये हैं। अतएव शासन की राय में अब प्रकरण में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

(तीन) आयोग द्वारा उद्योग में एक ही मजदूर संघ रहने की की गई सिफारिश निःसंदेह यद्यपि उचित है, किन्तु वर्तमान श्रम अधिनियमों के अंतर्गत यह संभव नहीं है अतएव इस संबंध में राज्य शासन द्वारा अभी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

११. शासन उन सभी व्यक्तियों और उनके संबंधियों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता है जिन्हें उज्जैन जिले में स्थित बिरला ग्राम, नागदा में २१ दिसम्बर, १९७० को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में चोटें आईं अथवा जो मारे गये।

१२. अन्त में, शासन न्यायमूर्ति श्री एस. वी. सेन को देश की सर्वोत्तम न्यायिक परम्पराओं के अनुसार जिस लगन और सावधानी से जांच का कार्य सम्पन्न करने के लिये निरन्तर परिश्रम करना पड़ा है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता है।

१३. आदेश दिया जाता है—

(क) कि, संकल्प की प्रतियां सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाएं, और

६

(ख) कि, यह संकल्प प्रकाशन विभाग द्वारा समाचार पत्रों को जारी किया जाए, और साथ ही उसकी एक प्रति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में प्रकाशित की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

र. च. राय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग)।

विषय सूची

		पृष्ठ	
१.	प्रस्तावना	अध्याय एक से तीन	१-१७
२.	विचारणीय विषय (क)	अध्याय चार	१८-४८
३.	विचारणीय विषय (ख)	अध्याय पांच	४९-८३
४.	विचारणीय विषय (ग)	अध्याय छः	८४-९७
५.	विचारणीय विषय (घ)	अध्याय सात	९८-१०२
६.	विचारणीय विषय (ङ)	अध्याय आठ	१०३-१२७
७.	परिशिष्ट :		
	परिशिष्ट—अ	घटना स्थल का निरीक्षण—नागदा	१२८-१३३
	परिशिष्ट—आ	प्रश्नावली तथा उत्तर	१३४-१४३
	परिशिष्ट—इ	विभिन्न रेयान उद्योगों की मूल मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते का तुलनात्मक चाट	१४४-१४५
	परिशिष्ट—ई	उन स्थानों की सूची, जिनका आयोग द्वारा दौरा किया गया.	१४६
	परिशिष्ट—उ	निरीक्षण के समय परीक्षित व्यक्तियों की सूची	१४७-१४८
	परिशिष्ट—ऊ	दिनांक ५-१२-१९७२ को श्री एस. के. मित्रा, भ्रम उपायुक्त, पश्चिम बंगाल शासन, कलकत्ता का साक्ष्य.	१४९-१५०
	परिशिष्ट—ए	पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई गवाहों की सूची	१५१-१६९
	परिशिष्ट—ऐ	उन गवाहों की सूची जिनका परीक्षण किया गया.	१७०-१७४
	परिशिष्ट—ओ	औद्योगिक शांति के लिए राष्ट्रपति गिरि की योजना.	१७५-१७६
	परिशिष्ट—औ	घटनाक्रम	१७७-१८६